बगैर किसी जमानत के मिलेगा साढ़े सात लाख रुपये तक लोन, न ही संपत्ति गिरवी रखनी होगी

सरकारी गारंटी पर शिक्षा ऋण

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

अब आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के छात्रों को भी बैंकों से आसानी से एजुकेशन लोन मिल सकेगा। केंद्र सरकार कम आय वर्ग के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए ऋण गारंटी कोष स्थापित करेगी।

इस कोष की मदद से छात्रों को साढ़े सात लाख रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कम आय वर्ग के छात्रों को लोन के लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं देनी होगी, न ही संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा महकमे के संयुक्त सचिव आर.पी. सिसौदिया ने केब की बैठक में क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा। यह अथॉरिटी क्रेडिट गारंटी कोष बनाएगी जिसमें केंद्र सरकार पांच हजार करोड़ रुपये देगी। जब भी कोई छात्र बैंक से साढ़े सात लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण लेगा तो बैंक इस ऋण को क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी में पंजीकृत कराएगा। इसके लिए अथॉरिटी बैंक से एक फीसदी प्रोसेसिंग फीस वसूलेगा।

कर्ज देने से पहले बैंक छात्रों की प्रतिभा, एडमिशन लिए जाने वाले कॉलेज आदि की गुणवत्ता की जांच करेंगे। शिक्षा ऋण लेने के बाद यदि किसी कारणवश छात्र ऋण वापस नहीं कर पाते हैं तो उसकी 75 फीसदी हिस्से की अदायगी की जिम्मेदारी क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी की होगी। वह राशि उसे एकमुश्त बैंक को अदा करनी होगी। ऋण का बाकी 25 फीसदी हिस्सा बैंक ऋण लेने वाले छात्र या उसके अभिभावकों से खुद वसूल करेंगे।

बैठक में राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है। अब मंत्रालय क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा।

क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी बनाएगी केंद्र सरकार

04.50 लाख तक सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा नई योजना का लाभ। आगे बढ़ेगी सीमा।
75% बैंक कर्ज राशि को मिलेगी सरकार से गारंटी
17% छात्र ही ले पाते हैं उच्च शिक्षा में एडमिशन, वैश्विक औसत 26%, विकसित देशों में 50%।
30% तक उच्च शिक्षा की दर को बढ़ाने लक्ष्य रखा गया है 2020 तक।
16% है सालाना वृद्धि दर एजुकेशन लोन की, लेकिन बैंकों का एनपीए भी बढ़ा।
01% कुल कर्ज का देश में बैंक देते है शिक्षा ऋण
04% विकसित देश देते हैं एजुकेशन लोन।

क्या है मौजूदा व्यवस्था

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है ऋण सब्सिडी योजना
- 04.5 लाख की आय के वालें के बच्चों को चार लाख तक बिना गारंटी के कर्ज • इसके ऊपर की राशि के ऋण पर देनी पड़ती है बैंक को गारंटी • ऋण पर कोर्स खत्म होने के एक साल बाद तक या नौकरी मिलने के छह महीने तक ब्याज नहीं • चालू वर्ष में 800 करोड़ सब्सिडी, अगले साल 1000 करोड़ तक बढ़ेगी सब्सिडी

कैसे मिलेगा लाभ

- पेशेवर, उच्च शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन के लिए यह योजना लागू होगी। • अति प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में ऋण की राशि को बढ़ाया जा सकता है। • इसके साथ-साथ पुरानी ऋण सब्सिडी योजना का लाभ मिलता रहेगा • प्रोसेसिंग फी की भरपाई बैंक करेगा या छात्र, इस पर फैसला नहीं।

क्या होंगे फायदे

- शिक्षा ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन बैंकों का पैसा भी बड़े पैमाने पर डूब रहा है।
- बैंक पुख्ता गारंटी मांगते हैं जिसमें असफल रहने पर कई प्रतिभाशाली छात्रों को नहीं मिल पाता है कर्ज
- मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के मिल सकेगा उच्च अध्ययन के लिए कर्ज

HINDUSTAN Dt. 07/6/12

3.5 Disability to Empowerment

3.5.1 New focus

For greater focus on addressing issues confronting persons with disabilities, the Government has decided to set up a separate Department for Disability Affairs. An Indian Sign Language Research and Training Centre has been sanctioned as an autonomous centre of the Indira Gandhi National Open University at an estimated cost of ₹ 45 crore. The National Handicapped Finance & Development Corporation disbursed concessional loans of more than ₹ 50 crore to 10,625 beneficiaries for self-employment. //